क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org — आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-37, अंक - 16 | अगस्त 16-31, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-6

हिन्दोस्तान की आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ पर :

शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्ति के बिना आज़ादी अधूरी है

1947 में जब ब्रिटिश उपनिवेशवादी हुकूमत समाप्त हुयी थी, तो हिन्दोस्तान के लोगों को जातिवादी भेदभाव, महिलाओं के उत्पीड़न और सांप्रदायिक उत्पीड़न सहित, सभी प्रकार के शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति मिलने की उम्मीद थी। नए हुक्मरानों ने हमारे देश के लंबे समय से पीड़ित लोगों के आंसू पोंछने का वादा किया था। लोगों को उम्मीद थी कि आज़ाद हिन्दोस्तान का राज्य समाज के सभी सदस्यों के साथ इंसान जैसे बर्ताव करेगा और सबके साथ समान अधिकारों वाले नागरिकों के रूप में व्यवहार करेगा। लेकिन, आज़ादी के 76 साल बाद भी ये उम्मीदें और अपेक्षाएं अधूरी हैं।

मणिपुर और हरियाणा की हालिया घटनाएं देश की भयावह स्थिति का प्रत्यक्ष सबूत हैं। लोग अपनी धार्मिक, जातिवादी, नस्लवादी या आदिवासी पहचान के आधार पर हिंसक हमलों का निशाना बनाए जाते रहते हैं। लोगों को मार दिया जाता है, बेघर कर दिया जाता है, महिलाओं का बलात्कार किया जाता है या उन्हें निर्वस्त्र घुमाया जाता है, और इन सब हमलों के होते हुए, सुरक्षा बलों से लोगों को कोई सुरक्षा नहीं मिलती है।

उपनिवेशवादी हुकूमत से मुक्ति के साथ–साथ, आर्थिक शोषण, ग़रीबी और भूख से मुक्ति नहीं मिली है। पूंजीवाद के विकास की वजह से एक ध्रुव पर अत्यधिक अमीर अरबपतियों का विकास हुआ है जबकि दूसरे ध्रुव पर व्यापक ग़रीबी और बेरोज़गारी फैली हुयी है।

शहीद भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी शहीदों ने कहा था कि :

"हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठीभर लोग, चाहे वे विदेशी हों या देशी, या दोनों एक–दूसरे के सहयोग से, हमारे लोगों के श्रम और संसाधनों का शोषण करते रहेंगे।"

> **हिन्दोस्तान के लोगों को पूंजीवादी शोषण और साम्राज्यवादी लूट के साथ–साथ, जातिवादी भेदभाव, महिलाओं के उत्पीड़न और राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा से मुक्ति पाने की ज़रूरत है। मज़दूर वर्ग को किसानों और अन्य सभी मेहनतकशों व उत्पीड़ित लोगों के साथ मिलकर, मुक्ति के लिए संघर्ष की अगुवाई करनी होगी।**

कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सरमायदार वर्ग की अगुवाई करने वाले कुछ मुट्ठीभर इजारेदार पूंजीपति हमारे लोगों के श्रम का शोषण करके तथा प्राकृतिक संसाधनों को लूटकर, बहुत बड़ी मात्रा में दौलत संचित कर रहे हैं।

1857 के ग़दर के वीरों ने दावा किया था कि हम लोगों को हिन्दोस्तान पर राज करने का अधिकार है। उन्होंने नारा बुलंद किया था कि "हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा!" विदेशी हुकूमत की समाप्ति के 76 साल बाद, आज स्थिति यह है कि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली नीतियों और क़ानूनों को निर्धारित करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है।

एक के बाद एक, सभी सरकारों ने मेहनतकश जनता की क़ीमत पर, सरमायदारों के संकीर्ण हितों की सेवा की है। अति अमीर पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफ़ों की लालच को पूरा करने के लिए सभी क़ानूनों और नीतियों को बनाया जाता रहा है। जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं, उन्हें किसी न किसी कठोर क़ानून के तहत जेल में डाल दिया जाता है।

संसद में होने वाली भद्दी बहसें साफ़–साफ़ दर्शाती हैं कि तथाकथित जन प्रतिनिधियों को लोगों की भलाई की कोई परवाह नहीं है। वे सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों का अपमान करने और अपनी चुनावी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिये चिंतित हैं।

समस्या सिर्फ एक या कुछेक राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के साथ नहीं है। समस्या पूरी राजनीतिक व्यवस्था और उसके द्वारा संचालित आर्थिक व्यवस्था में है।

समस्या की जड़ इस हक़ीक़त में निहित है कि 1947 में राजनीतिक सत्ता लोगों के हाथों में नहीं आई थी। ब्रिटिश हुक्मरानों ने सांप्रदायिक आधार पर देश के बंटवारे को आयोजित किया था और सांप्रदायिक जनसंहार के बीच में, अपने भरोसेमंद सहयोगियों के हाथों में सत्ता दे दी थी।

सत्ता बड़े पूंजीपतियों और बड़े ज़मींदारों के राजनीतिक प्रतिनिधियों के हाथों में आ गई, जिन्होंने लोगों के सांप्रदायिक और जातिवादी बंटवारे के आधार पर हुकूमत चलाने के उपनिवेशवादी तौर–तरीक़ों को बरकरार रखने का फ़ैसला किया। राज्य की सारी संस्थाओं और संविधान सहित सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पूंजीवादी शोषण और हिन्दोस्तानी सरमायदारों की हुकूमत को बनाए रखने का काम करती है।

सार्वभौमिक प्रौढ़ मताधिकार की लोकप्रिय मांग को स्वीकार करते हुए, संविधान सभा ने उस राजनीतिक व्यवस्था को क़ायम रखने का फ़ैसला किया था, जिसे ब्रिटिश हुक्मरानों ने हिन्दोस्तानी लोगों को गुलाम बनाने के लिए स्थापित किया था। राजनीतिक प्रक्रिया ने लोगों को चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने, निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने

शेष पृष्ठ 4 पर

हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा की निंदा करें!

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का बयान, 5 अगस्त, 2023

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी हरियाणा के मेवात क्षेत्र में हुई सांप्रदायिक हिंसा की कड़ी निंदा करती है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।

31 जुलाई को नूंह जिले से शुरू हुई हिंसा अगले दो दिनों में गुरुग्राम और पलवल तक फैल गई। इस हिंसा में कम से कम 6 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। सैकड़ों लोगों की गाड़ियों और दुकानों में आग लगा दी गई है। हजारों मेहनतकश लोग इन जिलों से पलायन करने को मजबूर हो गये हैं।

हरियाणा सरकार ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित एक 'शोभा यात्रा' को नूंह जिले से गुजरने की अनुमति दी थी। जबकि सोशल मीडिया पर बहुत ही भड़काऊ और नफ़रत–भरा अभियान चलाया जा रहा था, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस व्यक्ति पर इस साल फरवरी में नासिर और जुनैद नाम के दो निर्दोष व्यक्तियों की लिंचिंग करने का आरोप था, उसने अपने समर्थकों से यात्रा में शामिल होने का खुला आह्वान किया था। यह तब हुआ, जब पुलिस का कहना था कि वह कई महीनों से उस आरोपी व्यक्ति का पता ही नहीं लगा पा रही थी।

कई लोगों ने राज्य सरकार से एहतियाती क़दम उठाने की अपील की थी। लेकिन राज्य सरकार ने उन लोगों की अपीलों की उपेक्षा की और यात्रा को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री ने घोषणा की है कि नूंह में सांप्रदायिक हिंसा एक पूर्व नियोजित साज़िश थी। हरियाणा सरकार कुछ रहस्यमय साज़िशकर्ताओं की ओर इशारा करके, हिंसा को फैलाने में अपनी भूमिका को छिपाने की कोशिश कर रही है। बड़ी संख्या में बेक़सूर युवाओं और मेहनतकश लोगों को गिरफ़्तार किया गया है।

> **हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा की इस घटना में सांप्रदायिक नफ़रत फैलाये जाने के लिए और जान–माल के दुखद नुकसान के लिए राज्य प्रशासन के अधिकारियों – कमान संभालने वालों – को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य और सत्ता में बैठे लोग दोषी हैं, न कि लोगों का यह या वह तबका।**

हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा की इस घटना में सांप्रदायिक नफ़रत फैलाये जाने के लिए और जान–माल के दुखद नुकसान के लिए राज्य प्रशासन के अधिकारियों – कमान संभालने वालों – को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य और सत्ता में बैठे लोग दोषी हैं, न कि लोगों का यह या वह तबका।

http://hindi.cgpi.org/23846

अंदर पढ़ें

- देश की अर्थव्यवस्था में क्या नहीं बढ़ रहा है? 2
- वन अधिनियम में संशोधन 3
- पाठकों की प्रतिक्रिया 4
- देशभर में मज़दूरों का महापड़ाव 5
- तमिलनाडु में मज़दूरों की सभा 5

देश की अर्थव्यवस्था में क्या बढ़ रहा है और क्या नहीं बढ़ रहा है?

सरकार के प्रवक्ताओं का दावा है कि हिन्दोस्तान दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। हालांकि, अधिकांश लोग जानते हैं कि उनके जीवन–स्तर में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अधिकतर कामकाजी लोगों की आमदनी में, उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती क़ीमतों के बराबर भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। वास्तव में क्या हो रहा है, यह जानने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के आंकड़ों की गहराई से जांच करने की ज़रूरत है।

कहा जा रहा है कि हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था के हालात बहुत अच्छे हैं, क्योंकि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2022–23 के दौरान जी.डी.पी. में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

जी.डी.पी. नामक एक समग्र मापदंड विभिन्न मापदंडों से मिलकर बनता है। जिसमें कृषि, खनन, विनिर्माण उद्योग और विभिन्न सेवाओं द्वारा जोड़ा गया मूल्य शामिल होता है। इन मापदंडों का प्रदर्शन कैसा रहा है, इसकी जांच करने से पता चलता है कि देश का आर्थिक विकास बेहद असमान रहा है। इसमें वृद्धि अत्यंत विषम रही है।

कृषि व वन संबंधी और मछली पालन जैसी गतिविधियां, जो देश की सबसे बड़ी संख्या के लोगों की आजीविका का स्रोत हैं। इनमें 2022–23 में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है, जो कुल सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी की तुलना में बहुत कम है।

"मेक इन इंडिया" जैसी तमाम चर्चाओं और विभिन्न उद्योगों को दिए जाने वाले तमाम आर्थिक प्रोत्साहनों के बावजूद, कुल मिलाकर विनिर्माण उद्योग का उत्पादन केवल 1.3 प्रतिशत बढ़ा है।

समग्र विकास दर में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की क्या वजह है, जबकि कृषि और उद्योग दोनों बहुत धीमी गति से बढ़े हैं? इसका कारण, पूरी तरह से सेवाओं में हुई वृद्धि से समझा जा सकता है, क्योंकि सेवाओं के द्वारा जोड़ा गया मूल्य, सकल घरेलू उत्पाद के आधे से अधिक हिस्सा है। "व्यापार, होटल और परिवहन सेवाएं" नाम से जानी जाने वाली सेवाओं में 2022–23 में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जिसमें होम डिलीवरी सेवाओं में तेज़ी से हुई वृद्धि भी शामिल है।

आर्थिक विकास की संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि घरेलू बाज़ार के लिए उत्पादन और निर्यात बाज़ारों के लिए उत्पादन के बीच काफी अंतर है। घरेलू बाज़ार के लिए उत्पादन केवल 5.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा है जबकि निर्यात इसकी दुगनी दर से बढ़ा है। निर्यात में अधिकांश बढ़ोतरी सेवाओं के निर्यात के कारण हुई है। जो पिछले वर्ष के 254 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2022–23 में 27 प्रतिशत बढ़कर 323 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है।

आर्थिक विकास की असमानता के कारण, रोज़गार में कोई वृद्धि नहीं हुई है। नियमित नौकरियों की संख्या में गिरावट आई है। नौकरियों की गुणवत्ता बद से बदतर हो गई है। केवल सबसे ख़राब गुणवत्ता वाली नौकरियां जैसे कि डिलीवरी–मैन की नौकरियां ही बढ़ी हैं।

कामकाजी लोगों की आय नहीं बढ़ी है। बहुत से मज़दूर और किसान और भी ग़रीब हो गये हैं। मार्च 2023 में लेबर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि व्यवसायों से जुड़े ग्रामीण दिहाड़ी मज़दूरों के वास्तविक वेतन में प्रति वर्ष केवल 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसी अवधि में गैर–कृषि व्यवसायों में लगे मज़दूरों के वास्तविक वेतन में प्रति वर्ष 0.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। (वास्तविक–वेतन का क्या अर्थ है? बॉक्स देखें)

किसानों की आमदनी को दुगना करना, वर्तमान सरकार के वादों में से एक था। नीति–आयोग के अनुमान के मुताबिक, 2015–16 के बाद से किसानों की वास्तविक औसत आमदनी में गिरावट आई है।

मज़दूर और किसान ग़रीब ही बने हुए हैं, इनमें से बहुत से और भी ग़रीब होते जा रहे हैं, जबकि सबसे अमीर पूंजीपति और अधिक अमीर हो गए हैं। जहां स्टॉक–एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी कंपनियों की कुल बिक्री 2018–19 की तुलना में 2022–23 में केवल 42 प्रतिशत अधिक थी, वहीं उनका शुद्ध लाभ 189 प्रतिशत अधिक था। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों द्वारा दिए जाने वाले टैक्स की दरों में और बड़ी पूंजीवादी कंपनियों को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले क़र्ज़ की ब्याज दरों में बार–बार कटौती की है।

हमारे देश के अति अमीर पूंजीपति उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने में ज्यादा निवेश नहीं कर रहे हैं, जिन वस्तुओं की हमारे देश के लोगों को ज़रूरत है। जबकि पूंजीपतियों का मुनाफ़ा तेज़ी से बढ़ा है। इसका कारण यह है कि ज़रूरत की वस्तुओं और सेवाओं को ख़रीदने की मज़दूरों और किसानों की क्षमता में गिरावट आयी है। साबुन, डिटर्जेंट और टूथपेस्ट जैसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं की बिक्री में कमी, मज़दूरों और किसानों के बीच गहरे संकट को दर्शाती हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान, दोपहिया वाहनों (स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड) की बिक्री में 25 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है।

निष्कर्ष

हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखकर जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि प्रचार किया जाता है। यह हम सब के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।

एक तरफ, टाटा, बिड़ला, अंबानी, अदानी और अन्य इजारेदार पूंजीपति बहुत तेज़ी से अपनी संपत्ति का विस्तार कर रहे हैं। दूसरी तरफ, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती क़ीमतें, मज़दूरों की वास्तविक मज़दूरी और किसानों की वास्तविक आय को कम कर रही हैं।

कुछ मुट्ठीभर अति अमीर पूंजीपतियों और करोड़ों मज़दूरों–किसानों के बीच बढ़ती खाई, पूंजीवादी व्यवस्था का ही एक अवश्यंभावी परिणाम है। यह पूंजीपति वर्ग के निजी मुनाफ़े को अधिकतम करने की दिशा में होने वाले सामाजिक उत्पादन का नतीजा है।

जब तक देश की आर्थिक व्यवस्था, पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफ़े बनाने की लालच को पूरा करने की दिशा में चलाई जाती रहेगी, तब तक सभी के लिए समृद्धि, एक खोखला नारा ही रहेगा। सभी के लिए समृद्धि तभी हक़ीक़त बनेगी, जब मज़दूर और किसान देश के शासक बनेंगे और उत्पादन प्रणाली को लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में चलायेंगे।

http://hindi.cgpi.org/23872

वास्तविक–वेतन का क्या अर्थ है?

किसी मज़दूर को मिलने वाले वेतन में वृद्धि की दर, उसके जीवन स्तर में वृद्धि के अनुरूप नहीं होती है। इसका कारण है जीवनयापन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होने वाले ज़रूरी खर्च में वृद्धि। किसी मज़दूर के जीवन स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए, वास्तविक वेतन का आंकलन करना आवश्यक है, जैसा कि उपभोग की वस्तुओं की क़ीमतें स्थिर रहने पर मिलने वाले वेतन से ख़रीदी जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा से मापा जाता है।

उदाहरण के लिए, हम दिल्ली के एक अकुशल मज़दूर के हालात को देखें, जिसे क़ानूनन घोषित न्यूनतम वेतन मिल रहा है। जिसने 2022 के अप्रैल महीने में 16,506 रुपये कमाए होंगे। 1 अक्तूबर, 2022 से न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 16,792 रुपये प्रति माह कर दिया गया। हालांकि, औद्योगिक मज़दूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) द्वारा मापी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की औसत क़ीमत, अप्रैल और अक्तूबर 2022 के बीच, 3.8 प्रतिशत बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि नया न्यूनतम वेतन घोषित होने से ठीक पहले सितंबर 2022 के अंत तक, उपभोग की वस्तुओं की क़ीमतों में वृद्धि के कारण उसको मिलने वाले 16,506 रुपये के न्यूनतम वेतन की खरीदने की क्षमता अप्रैल 2022 में मिलने वाले 15,908 रुपये के बराबर थी, क्योंकि वह उतनी ही वस्तुओं और सेवाओं को ख़रीद सकता था। इसलिए अक्तूबर के वेतन में बढ़ोतरी से पहले ही मज़दूर 3.8 प्रतिशत ग़रीब हो गए, क्योंकि महंगाई के कारण उनको मिलने वाले वेतन से उनकी ज़रूरतों की वस्तुओं को ख़रीदने की क्षमता कम हो गयी। 1 अक्तूबर को न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 16,792 रुपये कर दिया गया। इस नए वेतन से 2022 के अप्रैल महीने में केवल 16,177 रुपए की वस्तुएं और सेवाएं ही ख़रीदी जा सकेंगी। भले ही 1 अक्तूबर को मिलने वाले वेतन को 1.7 प्रतिशत बढ़ाया गया था, लेकिन यदि महंगाई को भी शामिल किया जाए तो मज़दूरों का वास्तविक वेतन 2 प्रतिशत घट गया। (यदि हम अप्रैल 2022 में रुपये की क्रय–शक्ति – बाज़ार में उस पैसे से मिलने वाले सामान और सेवाओं को ख़रीद पाने की क्षमता – को ध्यान में रखते हैं तो 16,506 रुपये के वास्तविक वेतन की हक़ीक़त में क्रय–शक्ति केवल 16,177 रुपये की ही थी)।

मार्च 2023 के अंत तक, सी.पी.आई. (महंगाई सूचकांक) में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि के कारण, वास्तविक वेतन और अधिक घटकर केवल रुपए 15,392 हो गया। 1 अप्रैल को एक और बढ़ोतरी के बावजूद, जिसने न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 17,234 रुपए किया, उससे जीवन–यापन की लागत में हुई वृद्धि की भरपाई नहीं हुई। अप्रैल 2022 की क़ीमतों पर, अप्रैल 2023 में दी जाने वाली मज़दूरी केवल 16,398 रुपये के बराबर थी। जो कि एक साल पहले की क़ीमत से कम है। इस प्रकार मज़दूर, एक वर्ष पहले की तुलना में और अधिक ग़रीब हुआ है और वर्ष भर में 10,000 रुपये से अधिक की उसकी ख़रीद क्षमता कम हो गयी है।

घोषित न्यूनतम वेतन और वास्तविक वेतन
(रुपये प्रति माह)

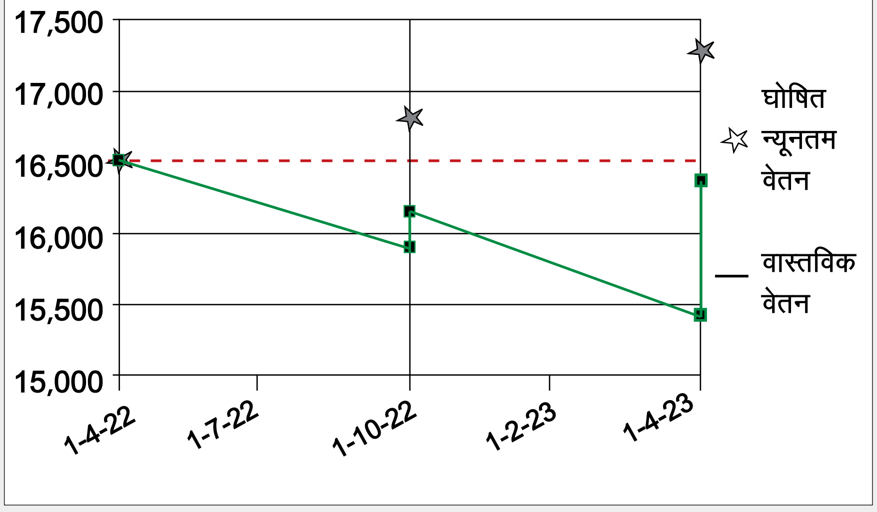

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com

वन (संरक्षण) अधिनियम में किये गये प्रमुख संशोधन

एफ.सी.ए. में संशोधन वनवासियों और लोगों की आजीविका की रक्षा और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के संघर्ष की पूरी तरह से उपेक्षा है। ये संशोधन पूंजीपतियों द्वारा जंगलों और जंगलों के नीचे की भूमि के तीव्र शोषण की सेवा में किये गए हैं।

वन, प्राकृतिक पर्यावरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे लकड़ी सहित, विभिन्न प्रकार के वन उत्पादों के रूप में, देश की कुल संपत्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर और ऑक्सीजन की सप्लाई करके, पर्यावरण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो इंसान को ज़िन्दा रखने के लिए बहुत आवश्यक है। वन, भूस्खलन और बाढ़ को रोकने में मदद करते हैं। वे मिट्टी के कटाव को रोकने और पौधों तथा फ़सलों को उगाने के लिए आवश्यक समृद्ध ऊपरी मिट्टी को तैयार करने में मदद करते हैं। वन, वर्षा के पानी को ले लेने और जलवाष्प के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रदूषण और हानिकारक रसायनों को छानते हैं, जिससे मानव उपयोग के लिए उपलब्ध पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है।

जंगलों के संरक्षण के लिए किया जा रहा संघर्ष, पूंजीवादी व्यवस्था के विनाशकारी प्रभावों से मानव और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए मज़दूर वर्ग और जनता के संघर्ष का हिस्सा है।

जंगल करोड़ों वनवासियों के लिए उनका घर होने के साथ–साथ, उनकी आजीविका के साधन भी हैं। हमारे देश के आदिवासी लोगों ने और अन्य वनवासियों ने सदैव वनों को पतन और विनाश से बचाया है। दूसरी ओर, पूंजीपति वर्ग और उस वर्ग की सेवा करने वाली सरकारें, हालांकि कहने के लिए बहुत कुछ अच्छे–अच्छे शब्द कहने के बावजूद, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की कोई परवाह नहीं करते हैं। इस हक़ीक़त की पुष्टि वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 से होती है, जिसके तहत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में कई संशोधन किये गए हैं।

परामर्श करने का स्वांग रचा गया

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को 1 अगस्त को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। इसे संसद के दोनों सदनों में बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। पहले इस विधेयक को 29 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था और उसी दिन संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) को भेजा दिया गया था।

विभिन्न प्रस्तावित संशोधनों पर अलग–अलग संगठनों और लोगों से 1,300 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुईं। इनमें से कई आपत्तियां, आदिवासी लोगों और वनवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठनों की ओर से आईं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा से संबंधित लोगों और संगठनों की ओर से भी कई आपत्तियां पेश की गयीं। लोगों की किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया। जे.पी.सी. ने 20 जुलाई, 2023 को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। प्रस्तुत विधेयक में जे.पी.सी. द्वारा सरकार ने इतनी आपत्तियों के पेश किये जाने के बाद भी कोई बदलाव करने की ज़रूरत महसूस नहीं की और वही बिल पेश किया, जिसे मार्च में लोकसभा में पेश किया गया था। बताया जाता है कि विपक्षी पार्टियों से जुड़े जे.पी.सी. के छः सदस्यों ने अपनी असहमति जताने वाले नोट पेश किए हैं।

स्पष्ट है कि लोगों और उनके संगठनों के साथ परामर्श की पूरी प्रक्रिया एक दिखावे के अलावा और कुछ नहीं थी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1980 के वन संरक्षण अधिनियम में किए जा रहे संशोधनों को, 43 साल पहले उस क़ानून के लागू होने से पहले और बाद में, वनों से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं और हालतों में हुये बदलावों के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए।

हमारे देश में अधिकांश वन, आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यदि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो आदिवासी लोगों ने ही जंगलों की रक्षा की है, जो उनका घर होने के साथ–साथ उनकी आजीविका का स्रोत भी रहे हैं।

ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने 1927 में भारतीय वन अधिनियम (इंडियन फारेस्ट एक्ट) लागू किया था। उस अधिनियम ने हिन्दोस्तान के सभी जंगलों को, उपनिवेशवादी राज्य की संपत्ति के रूप में घोषित कर दिया था। इस तरह, उस क़ानून के तहत, आदिवासियों और अन्य वनवासियों को उनकी अपनी ही भूमि पर बिना किसी अधिकार के रहने वाला माना जाने लगा। भारतीय वन अधिनियम 1927 का उद्देश्य था, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों पर लगान सुनिश्चित करना।

स्वतंत्रता के बाद, देश में पूंजीवादी विकास के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण, हिन्दोस्तान की सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को पारित किया था। यह अनुमान लगाया गया है कि 1951 से 1975 तक, लगभग 40 लाख हेक्टेयर वन भूमि को विभिन्न गैर–वानिकी इस्तेमाल के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफ.सी.ए.–1980) ने वन भूमि को गैर–वन भूमि में बदलने पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिये। एफ.सी.ए.–1980 की घोषणा के बाद, पिछले 43 वर्षों में आधिकारिक तौर पर, गैर–वन उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित की गई वन–भूमि लगभग 10 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है। इससे पता चलता है कि वन क्षेत्र के नष्ट होने की दर में कुछ गिरावट आई है। 2023 के संशोधन के ज़रिये विभिन्न प्रतिबंधों को हटाना इजारेदार पूंजीपतियों के इरादों की सेवा में लाये गए क़ानून की दिशा को दर्शाता है। ताकि खनन, जल विद्युत परियोजनाओं, तेल और गैस की खोज, लकड़ी और साथ ही रियल एस्टेट विकास के लिए वन भूमि के दोहन को बढ़ाया जा सके।

वन संरक्षण अधिनियम–1980 का दृष्टिकोण पारंपरिक वनवासियों के प्रति ब्रिटिश उपनिवेशवादियों से भिन्न नहीं था। इसमें इस हक़ीक़त पर विचार नहीं किया गया कि पारंपरिक वनवासियों का जंगल पर जन्मसिद्ध अधिकार है। इस क़ानून ने भी ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की तरह ही वनों को हिन्दोस्तानी राज्य की संपत्ति माना था।

हमारे देश के आदिवासी और अन्य वनवासी लोग अपनी आजीविका और अधिकारों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें वन उपज पर उनके मूलभूत अधिकार भी शामिल हैं। इस संघर्ष को हमारे देश की प्रगतिशील ताक़तों का समर्थन भी मिला है। इस संघर्ष का एक नतीजा था – दिसंबर 2006 के वन अधिकार अधिनियम का अधिनियमन।

वन अधिकार अधिनियम 2006, ने औपचारिक रूप से पारंपरिक वनवासियों को उनके जंगल को, उनका घर और आजीविका का स्रोत होने के दावे को मान्यता दी। वन अधिकार अधिनियम के अनुसार, गैर–वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के किसी भी परिवर्तन के लिए, स्थानीय–समुदाय की मंजूरी होनी चाहिए।

2023 में प्रमुख संशोधन

वन संरक्षण अधिनियम का नाम बदलकर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम कर दिया गया है, जो सिर्फ अंग्रेजी नाम का हिन्दी में अनुवाद है।

हालांकि हक़ीक़त में तो इन संशोधनों के ज़रिये वनों की सुरक्षा और विकास के बजाय, इसका उल्टा होना सुनिश्चित किया जा रहा है। जैसा कि इसमें साफ़ दिखता है कि इन संशोधनों के द्वारा उन क्षेत्रों को, जहां पर एफ.सी.ए.–1980 लागू है, उसे घटाकर बहुत कम कर दिया गया है।

यह जानना भी ज़रूरी है कि 12 दिसंबर, 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया था, जिसने 1980 के क़ानून के दायरे को काफी बढ़ा दिया था। उस फ़ैसले के अनुसार, सभी जंगल चाहे निजी लोगों की मलिकी में हों या सरकार की मालिकी में, जिन्हें किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में मान्यता प्राप्त थी, वे सब 1980 के अधिनियम के तहत आएंगे – वहां पर यह क़ानून लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे फैसला सुनाया जिसके तहत, 1980 का अधिनियम लागू होने के बाद और 12 दिसंबर, 1996 से पहले जो भी वन भूमि का गैर–वन भूमी के रूप में उपयोग के लिये बदली गयी है, उसको अवैध माना जाएगा। जब तक कि इसे केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत नहीं किया गया हो। राज्य सरकारों या राज्य के अधीन अन्य निकायों द्वारा गैर–वन उपयोग के आदेश क़ानूनी नहीं माने जाएंगे।

अब, 2023 के संशोधनों के बाद, एफ.सी.ए.–1980 के अधिनियम के लागू होने के बाद और 12 दिसंबर, 1996 से पहले किसी भी सरकारी विभाग द्वारा वन उपयोग से गैर–वन उपयोग में परिवर्तित भूमि पर, एफ.सी.ए. लागू नहीं होगा।

इस तरह एफ.सी.ए.–1980 में किया गया 2023 का संशोधन, अब राज्य सरकारों या राज्य सरकारों के अधीन अन्य निकायों द्वारा 12 दिसंबर, 1996 से पहले किए गए वन भूमि के इन रूपांतरणों को वैध बनाता है। ऐसे कई रूपांतरण राज्य सरकारों द्वारा किए गए हैं, जिन्होंने पनबिजली परियोजनाओं, खनन, पेड़ों को काटना, आदि के लिए

शेष पृष्ठ 4 पर

वन (संरक्षण) अधिनियम में किये गये प्रमुख संशोधन

पृष्ठ 3 का शेष

जंगलों के विशाल भूभाग को पूंजीपतियों को सौंप दिया है।

2023 का अधिनियम, निजी स्वामित्व वाले वनों और उन सभी अन्य वनों को भी, यह संशोधन 1980 के अधिनियम के संचालन क्षेत्र से हटा देता है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 या एफ.सी.ए.–1980 के तहत अधिसूचित नहीं किये गए हैं।

2023 का एक अन्य प्रमुख संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि हिन्दोस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से 100 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाली वन भूमि, एफ.सी.ए. के दायरे से बाहर है। ऐसा रणनीतिक (यानी रक्षा संबंधी) उद्देश्यों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और रेल नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए किया गया है। यह संशोधन हमारे देश के घने जंगलों का एक बड़े हिस्से को वन अधिकार के दायरे से बाहर कर देगा, जो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम के सीमावर्ती राज्यों में हैं। इसके अलावा, इसका असर पश्चिम बंगाल के सुंदरबन पर भी पड़ेगा, जिसकी सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है।

2023 के अन्य संशोधन सरकार को जंगलों से गुजरने वाले राजमार्गों और रेलवे के किनारे की भूमि को अधिनियम के दायरे से हटाने की अनुमति देते हैं। जंगल के नीचे खनिज, तेल और गैस की मौजूदगी की खोज करने की अनुमति होगी। इको–टूरिज्म के नाम पर जंगलों को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए खोल दिया जाएगा। सुरक्षा बल "वामपंथी उग्रवाद" से निपटने के नाम पर, जंगलों के क्षेत्रों को साफ़ कर सकते हैं और वहां पर अपने शिविर स्थापित कर सकते हैं। जिसका इस्तेमाल, वनवासियों की आजीविका पर हमलों के ख़िलाफ़ और उनके पारंपरिक अधिकारों के लिए संघर्ष को दबाने के लिए किया जाएगा।

हिन्दोस्तान के वन

- हिन्दोस्तान के 140 पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र, देश के कुल वन–क्षेत्र का 40 प्रतिशत है।
- हिन्दोस्तान के जनजातीय–जिलों में वन क्षेत्र, देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 60 प्रतिशत है।
- उत्तर पूर्व क्षेत्र में वन क्षेत्र, देश के कुल वन क्षेत्र का 24 प्रतिशत है। यह इस क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का 65 प्रतिशत है।

(नोट : उत्तर पूर्व में ऐसे जिले शामिल हैं जो पहाड़ी जिले के साथ–साथ आदिवासी जिले भी हैं)।

स्रोत : भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2021

वन संरक्षण अधिनियम–1980 में 2023 के संशोधन, वनवासियों के जंगलों पर उनके अधिकारों की पूरी तरह से अनदेखी करता है। इसने केंद्र सरकार को रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण पर्यटन, खनिज संसाधनों की खोज आदि के नाम पर उनकी ज़मीनों पर क़ब्ज़ा करने की ताक़त दे दी है।

पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश के ख़िलाफ़, लंबे समय से लोगों के आंदोलन चल रहे हैं। लोग बड़े पैमाने पर जल विद्युत परियोजनाओं और राजमार्ग परियोजनाओं के साथ–साथ लकड़ी के लिए वनों की कटाई का भी विरोध कर रहे हैं। इन परियोजनाओं ने भूस्खलन और भारी बाढ़ सहित कई आपदाओं को लाने और लोगों पर उसका कुप्रभाव डालने में सीधे तौर पर योगदान दिया है। इस वर्ष आई बाढ़ ने इन राज्यों के साथ–साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे निचले राज्यों को भी तबाह कर दिया है, जो पूंजीपतियों द्वारा वनों और प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम है।

संक्षेप में, एफ.सी.ए. में संशोधन वनवासियों और लोगों की आजीविका की रक्षा और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के संघर्ष की पूरी तरह से उपेक्षा है। ये संशोधन पूंजीपतियों द्वारा जंगलों और जंगलों के नीचे की भूमि के तीव्र शोषण की सेवा में किये गए हैं।

http://hindi.cgpi.org/23885

हिन्दोस्तान की आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ पर

पृष्ठ 1 का शेष

या उन्हें किसी भी समय वापस बुलाने के अधिकार से वंचित करना जारी रखा है।

ब्रिटिश राज की केंद्रीकृत अफ़सरशाही और सशस्त्र बलों, क़ानूनों, अदालतों और जेलों का प्रयोग बीते 76 वर्षों से, हिन्दोस्तानी सरमायदारों की हुकूमत को बरकरार रखने के लिए किया जा रहा है। 'फूट डालो और राज करो' – यह आज़ाद हिन्दोस्तान के हुक्मरानों का मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है। राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा हुकूमत का एक पसंदीदा तरीक़ा बना हुआ है।

बीते 76 वर्षों में, पूंजी के बढ़ते संकेन्द्रण के साथ–साथ, राजनीतिक शक्ति का भी संकेन्द्रण बढ़ा है। उपनिवेशवादी काल से विरासत में मिले राज्य का प्रयोग करते हुए, बड़े पूंजीपतियों ने पूंजीवाद विकसित किया है, अपने हाथों में बेशुमार धन केंद्रित किया है और अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को हासिल करने की कोशिश में लगे हुए इजारेदार पूंजीपति बन गए हैं। उन्होंने अब तक उदारीकरण और निजीकरण के साम्राज्यवादी नुस्खों को पूरी तरह अपना लिया है।

आज हिन्दोस्तान का नवनिर्माण वक्त की मांग है। उपनिवेशवादी विरासत से 1947 में जो नाता नहीं तोड़ा गया था, आज उस नाते को तोड़ने की ज़रूरत है। हमें एक ऐसी नई राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत है, जिसमें संप्रभुता लोगों में निहित हो और संविधान लोकतांत्रिक अधिकारों व मानवाधिकारों की अलंघनीयता की गारंटी देता हो। राजनीतिक प्रक्रिया को बदलना होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेहनतकश जनता फ़ैसले लेने की शक्ति का इस्तेमाल करने में सक्षम हो।

हुक्मरान सरमायदार अपने बेहद संकीर्ण हितों और साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, देश को बहुत ही ख़तरनाक रास्ते पर ले जा रहे हैं। मज़दूरों का शोषण और किसानों की लूट असहनीय स्तर पर पहुंच रही है। विरोध करने वालों को क्रूर दमन का सामना करना पड़ता है।

हिन्दोस्तान के लोगों को पूंजीवादी शोषण और साम्राज्यवादी लूट के साथ–साथ, जातिवादी भेदभाव, महिलाओं के उत्पीड़न और राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा से मुक्ति पाने की ज़रूरत है। मज़दूर वर्ग को किसानों और अन्य सभी मेहनतकशों व उत्पीड़ित लोगों के साथ मिलकर, मुक्ति के लिए संघर्ष की अगुवाई करनी होगी।

आज हिन्दोस्तान का नवनिर्माण वक्त की मांग है। उपनिवेशवादी विरासत से 1947 में जो नाता नहीं तोड़ा गया था, आज उस नाते को तोड़ने की ज़रूरत है। हमें एक ऐसी नई राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत है, जिसमें संप्रभुता लोगों में निहित हो और संविधान लोकतांत्रिक अधिकारों व मानवाधिकारों की अलंघनीयता की गारंटी देता हो। राजनीतिक प्रक्रिया को बदलना होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेहनतकश जनता फ़ैसले लेने की शक्ति का इस्तेमाल करने में सक्षम हो।

राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में लेकर, मज़दूर वर्ग और उसके मित्र अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे। सामाजिक उत्पादन की दिशा पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने की नहीं, बल्कि संपूर्ण जनता की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में बदल दी जायेगी। ऐसा होने पर ही बहुसंख्यक हिन्दोस्तानी लोग दिल से देश की आज़ादी का जश्न मना सकेंगे।

http://hindi.cgpi.org/23876

पाठकों की प्रतिक्रिया

अमरीका की दादागिरी

संपादक महोदय,

नाटो शिखर सम्मेलन पर आपके लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि अमरीकी साम्राज्यवाद का नाटो के विस्तार का क्या मक़सद था और है। यह झूठा प्रचार फैलाया जाता रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ से हमले के ख़तरे का मुक़ाबला करने के लिए एक नाटो सैन्य गठबंधन बनाया गया। सच्चाई यह है कि 50 के दशक में रूस, यानी कि तब का सोवियत संघ, कम्युनिज़्म का विचार उच्चतम स्तर पर था। अमरीकी साम्राज्यवाद को पूरा यकीन हो चुका था, कि अगर इसे न रोका गया तो दुनियाभर के देश समाजवाद की ओर तेज़ी से बढ़ते जायेंगे। कुल मिलाकर नाटो की स्थापना दुनिया में कम्युनिज़्म की विचारधारा को रोकने के लिए की गयी थी।

एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाये रखने की बात करता है; राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना चाहता है। दूसरी ओर नाटो की तरफ से यह बयान है कि यूक्रेन का भविष्य नाटो में है, जिससे यूक्रेन के साथ रूस को जंग जारी रखने को बढ़ावा मिलता है।

लेख में जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं कि कौन सा देश सैन्य सुरक्षा के नाम पर यूक्रेन को कितने हथियार उपलब्ध कराएगा, यह साफ दर्शाता है कि अमरीकी साम्राज्यवाद सिर्फ अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता है। नाटो में जो सदस्य शामिल हैं उनमें से लगभग 50 प्रतिशत देशों की जनसंख्या एक करोड़ से कम है। इन देशों पर नाटो समझौते के नाम पर अमरीका अपनी साम्राज्यवादी ताक़त का इस्तेमाल करता है। यह अनुमान लगाना कि दुनिया को एक और विश्व युद्ध की ओर ले जाया जा रहा है, यह सही साबित हो सकता है।

अब दुनिया के लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि नाटो अमरीका के नेतृत्व वाला एक सैन्य गठबंधन है जिसमें सिर्फ अमरीका की दादागिरी चलती है। मैं मज़दूर एकता लहर का धन्यवाद करता हूं कि लेखों को तथ्यों और आकड़ों के साथ प्रस्तुत करके महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला जाता है।

आपका पाठक,
पंडित, दिल्ली

देशभर में मज़दूरों का महापड़ाव

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

9 अगस्त, 2023 को ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की पहल पर, देशभर में मज़दूरों ने महापड़ाव के कार्यक्रम आयोजित किये। केन्द्र सरकार की मज़दूर–विरोधी, किसान–विरोधी, जन–विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ तथा अपनी मांगों को लेकर मज़दूरों ने अलग–अलग राज्यों की राजधानियों में और जिला–तहसील के मुख्यालयों पर कई जुलूस, धरने, सभाएं और विरोध प्रदर्शन किये। अनुमान लगाया जा रहा है कि देशभर में 700 से ज्यादा स्थानों पर इस तरह के महापड़ाव आयोजित किए गए।

इस महापड़ाव के लिए मज़दूरों को संगठित करने के उद्देश्य के साथ, ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में मज़दूरों ने महापड़ाव के एक महीने पहले से ही औद्योगिक क्षेत्रों और मज़दूरों की रिहाईशी कालोनियों में पर्चे बांटे और ज़ोरदार अभियान चलाये।

देश की राजधानी दिल्ली में संसद के पास, जंतर–मंतर पर एक महापड़ाव आयोजित किया गया।

इस महापड़ाव में अलग–अलग क्षेत्रों से सैकड़ों मज़दूर शामिल हुए। महिला मज़दूरों ने जोश के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। मज़दूरों के हाथों में बैनरों और प्लाकार्डों पर विरोध प्रकट करते हुए नारे लिखे थे – "महंगाई, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ संघर्ष तेज़ करो!", "निजीकरण–उदारीकरण मुर्दाबाद!", "नयी शिक्षा नीति वापस लो!", "लोगों की हिफ़ाज़त में संघर्ष करने वालों की आवाज़ को दबाना बंद करो!", "बैंक, रेल, बीमा, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा को बेचना बंद करो!", मज़दूरों को गुलाम बनाने वाले चार लेबर कोड रद्द करो!", "न्यूनतम वेतन 26,000 करो!", "समान काम का समान वेतन दो!"

दिल्ली में महापड़ाव के आयोजक थे – एटक, सीटू, मज़दूर एकता कमेटी, हिन्द मज़दूर सभा, इंटक, ए.आई.यू.टी.यू.सी., ए.आई.सी.सी.टी.यू., यू.टी.यू.सी., एल.पी.एफ., सेवा और आई.सी.टी.यू.। सभी आयोजक संगठनों के प्रतिनिधियों ने महापड़ाव को संबोधित किया।

वक्ताओं ने देशी–विदेशी बड़े–बड़े इजारेदार पूंजीवादी घरानों के मुनाफ़ों को और तेज़ी से बढ़ाने के उद्देश्य से बनायी गयी मज़दूर–विरोधी, किसान–विरोधी, जन–विरोधी नीतियों की कड़ी निंदा की। इन नीतियों के चलते अमीरों और ग़रीबों के बीच की खाई बढ़ रही है। ग़रीबी, भुखमरी, कुपोषण और बेरोज़गारी बढ़ रही हैं। दिहाड़ी मज़दूरों में रोज़ी–रोटी की असुरक्षा इतनी बढ़ गयी है कि वे खुदकुशी करने को मजबूर हैं। छंटनी, तालाबंदी, वेतन कटौती जैसे क़दमों के ज़रिए मज़दूरों के जीवन स्तर को नीचे की ओर धकेला जा रहा है। चार लेबर कोड के ज़रिए मज़दूरों पर नयी गुलामी लादी जा रही है। प्रतिदिन काम के घंटे 8 से 12 किए जा रहे हैं।

वक्ताओं ने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि दिल्ली–एनसीआर में 95 फ़ीसदी मज़दूरों को घोषित न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। असुरक्षित हालतों में काम करने को मजबूर होकर मज़दूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन, दोषी पूंजीपति मालिकों के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं करते हैं।

सार्वजनिक उद्यमों और सेवाओं – रेल, सड़क, डिफेंस, एयरपोर्ट, बिजली, पेट्रोलियम, परिवहन, बैंक, बीमा, संचार, कोयला खनन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आदि – को देशी–विदेशी इजारेदार पूंजीवादी घरानों के हाथों में कौड़ियों के दाम पर बेचा जा रहा है।

मणिपुर और हरियाणा में हाल में फैलाई गयी सांप्रदायिक हिंसा का ज़िक्र करते हुए, वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि इनके लिए पूंजीपति और उनकी सरकार ज़िम्मेदार हैं। उनका इरादा है पूंजीपतियों के सबतरफ़ा हमलों के ख़िलाफ़ मज़दूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों और सभी मेहनतकशों की एकता को तोड़ना और उनके एकजुट संघर्ष को कुचलना।

इन सभी बातों का यह निष्कर्ष साफ़–साफ़ निकल कर आया कि अगर अर्थव्यवस्था को लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में चलाना है, न कि पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने की दिशा में, तो पूंजीपतियों को सत्ता से हटाना होगा। मज़दूरों–किसानों को अपनी हुकूमत स्थापित करनी होगी, उत्पादन के सभी साधनों पर समाज की मालिकी स्थापित करनी होगी और समाज के सभी फ़ैसलों को लेने में सक्षमता हासिल करनी होगी।

महिला मज़दूरों के एक सामूहिक गीत के साथ महापड़ाव का समापन हुआ।

http://hindi.cgpi.org/23860

तमिलनाडु के मज़दूरों ने अधिकारों पर हमलों के ख़िलाफ़ सभा की

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

9 अगस्त को तमिलनाडु में ट्रेड यूनियनों और मज़दूर संगठनों ने चेन्नई और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन किए। चेन्नई के एग्मोर राजरत्नम स्टेडियम में एक विशाल सभा आयोजित की गई। मज़दूरों ने लंबे समय से चली आ रही अपनी मांगों को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। इस विशाल सभा की तैयारियों के लिए, ट्रेड यूनियनों ने एक महीने से अधिक समय तक पूरे राज्य में बैठकें कीं, घर–घर जाकर प्रचार अभियान चलाये, नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया, वाहनों पर जुलूस निकाले तथा पोस्टर लगाये, आदि। पूंजीपतियों और उनकी सरकार की मज़दूर–विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ मज़दूरों को एकजुट और संगठित करने के इस अभियान में तोड़िलालर ओट्रुमई इयक्कम ने ज़ोरदार तरीक़े से भाग लिया।

ट्रेड यूनियनों के 14 सूत्रीय मांगपत्र में शामिल हैं :

1. मज़दूर वर्ग विरोधी 4 श्रम संहिताओं को ख़त्म करो
2. अस्थायी, कैजुअल और संविदा मज़दूरों को स्थायी करो
3. जीवनयापन के लिये बढ़ते खर्च का मुक़ाबला करने के लिए न्यूनतम मज़दूरी 28,000 रुपये प्रति माह निर्धारित करो
4. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण पर रोक लगाओ

5. सभी मज़दूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी लागू करो
6. सभी मज़दूरों के लिए 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करो
7. सभी आवश्यक वस्तुओं की क़ीमतें कम करने के लिए क़दम उठाओ
8. सभी कृषि उपजों के लिए लाभकारी मूल्य की गारंटी दो
9. सभी लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल सुनिश्चित किया जाये
10. भावी पीढ़ियों के हित के लिए पर्यावरण की रक्षा करो

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं तथा बैंकों, बीमा, दूरसंचार, रक्षा क्षेत्र व सरकारी कर्मचारियों की फेडरेशनों के प्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित किया। वक्ताओं ने सरकार द्वारा मज़दूर वर्ग पर किये जा रहे हमलों की निंदा की।

वक्ताओं ने बताया कि सबसे भयानक हमला मज़दूरों के उन अधिकारों पर है जिन्हें मज़दूरों ने दशकों से अनगिनत संघर्षों और लड़ाइयों को लड़कर जीता है। बड़े पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार 4 श्रम संहितायें (लेबर कोड) लेकर आई है। ये संहितायें अनिवार्य रूप से मज़दूरों के अधिकांश अधिकारों पर और हड़ताल पर जाने के उनके अधिकार से इनकार करती हैं, इसके अलावा पूंजीपतियों द्वारा मज़दूरों को काम पर रखकर, कभी भी नौकरी से निकालने को वैध बनाते हैं। उन्होंने इन मज़दूर–विरोधी श्रम संहिताओं को तत्काल वापस लेने की मांग की।

उन्होंने यह भी बताया कि पूरे हिन्दोस्तान में कारखानों में अधिकांश मज़दूर निश्चित अवधि के आधार पर या अनुबंध या कैजुअल मज़दूर के रूप में काम करते हैं। इन मज़दूरों को वैधानिक न्यूनतम वेतन से कम वेतन पर काम करना पड़ता है और उनके पास आजीविका या सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। वक्ताओं ने मांग की कि सभी अस्थायी, कैजुअल और अनुबंध मज़दूरों को जल्द से जल्द नियमित किया जाये।

वक्ताओं ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों के 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण माफ़ कर दिए हैं, जिसे कई बड़े पूंजीपतियों ने बैंकों को वापस करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मांग की कि सरकार को पूंजीपतियों से इस भारी रकम को वसूलने और इसे मज़दूरों और किसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने के क़दम उठाने चाहिए।

वक्ताओं ने अत्यधिक मूल्यवान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कई लाख करोड़ रुपये की संपत्ति को बड़े पूंजीपतियों को सौंपे जाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि एल.आई.सी., सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, रेलवे, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, बिजली उत्पादन कंपनियों आदि को पूंजीपतियों को भारी मुनाफ़ा कमाने के लिए सौंपा जा रहा है। उन्होंने

शेष पृष्ठ 6 पर

मज़दूर एकता लहर

हिंदोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23
LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23
Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Aug, 2023, Date of publish - 16 Aug, 2023

To ....
....
....
....
....
....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020 email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

रेल कर्मचारियों की गिरफ़्तारी :

रेल दुर्घटनाओं के वास्तविक कारण पर पर्दा डालना

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने 2 जून को ओडिशा के बालासोर में तीन रेलगाड़ियों की टक्कर के मामले में दो वरिष्ठ सेक्शन अभियंताओं (सिग्नल) और एक तकनीशियन को 7 जुलाई को गिरफ़्तार किया। उन पर गैर–इरादतन हत्या और सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया है।

दुर्घटना के लिए दोषी ठहराए गए तीनों रेल कर्मचारियों की गिरफ़्तारी को कई तथ्यों की रोशनी में देखा जाना चाहिए, जो बताते हैं कि सुरक्षा मानकों की उपेक्षा, गहरी जड़ वाली व्यवस्थागत समस्या है।

रेलवे के अधिकारियों ने पटरियों के रखरखाव की उपेक्षा की है तथा पटरियों के निरीक्षण के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। ट्रैकमैन को अधिकतम जोखिम वाली परिस्थितियों में अपने कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है। रेल चालकों से ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता है। सिग्नलिंग सिस्टम में आई दिक्कतों को दूर नहीं किया जाता है। सिग्नल और पटरियों के निरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित मज़दूरों की जगह पर मज़दूरों को अनुबंध पर रखा जाता है। ज़रूरी पुर्जों की आपूर्ति के लिए निजी कंपनियों को आउटसोर्स किया जाता है। इन सबके परिणामस्वरूप भारतीय रेल में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं।

भारतीय रेल में लगभग 3,12,000 पद खाली पड़े हैं। वास्तविक कर्मचारियों की कमी और भी ज्यादा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते यातायात के बावजूद, अधिकारियों ने बहुत बड़ी संख्या में पदों को सरेंडर कर दिया है।

पटरियों का रखरखाव करने वालों के काम की स्थितियां इतनी असुरक्षित हैं कि उनमें से हर दिन लगभग 2–3 लोग काम करते समय मर जाते हैं! वे रेलगाड़ी के नीचे आकर कुचले जाते हैं क्योंकि आने वाली रलेगाड़ियों के बारे में चेतावनी देने वाला कोई भी सुरक्षा उपकरण उनके पास नहीं होता है।

रेल चालकों को आधिकारिक तौर पर प्रतिदिन 9 घंटे काम करना होता है। हालांकि, बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों के कारण, उन्हें दिन में 14–16 घंटे भी बिना आराम किये काम करना पड़ता है। रेल चालकों को लगातार रात की ड्यूटी करनी पड़ती है। अक्सर उन्हें छुट्टी नहीं मिलती और यहां तक कि पर्याप्त साप्ताहिक आराम भी नहीं दिया जाता।

1980 के दशक में एक नए रेल चालक को डीजल इंजन पर 10 महीने तक प्रशिक्षित किया जाता था। अब अलग–अलग इंजनों की संख्या बहुत अधिक है और नए व्यक्ति को केवल तीन महीने में डीजल और इलेक्ट्रिक, दोनों इंजनों को चलाने के लिए प्रशिक्षित कर दिया जाता है!

अधिकारियों का ध्यान रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने पर रहा है न कि सुरक्षा बढ़ाने पर।

सभी श्रेणियों के रेलकर्मी रेलवे अधिकारियों द्वारा सुरक्षा की अनदेखी पर अपनी चिंता जताते रहे हैं। उन्होंने खाली पदों को न भरने, रेल चालकों से अधिक काम लेने और प्रशिक्षित पूर्णकालिक कर्मचारियों के स्थान पर अनुबंध पर रखे गये मज़दूरों के उपयोग के ख़िलाफ़ बार–बार आवाज़ उठाई है।

रेलवे सुरक्षा पर काकोडकर कमेटी ने 2012 में ही बताया था कि रेलवे सुरक्षा में सुधार के लिए अगले कुछ वर्षों में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की ज़रूरत है। उस कमेटी की सिफ़ारिश को पूरी तरह से नज़रंदाज कर दिया गया है।

भारतीय रेल के दिशा–निर्देशों के अनुसार, देश में 1,14,907 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली पटरियों में से 4,500 किलोमीटर का हर साल नवीनीकरण किया जाना चाहिए। पिछले कई दशकों से, हर साल पटरियों का वास्तविक नवीनीकरण अधिकतम 2,000 किमी के आसपास होता है। इस प्रकार, असुरक्षित पटरियों की लंबाई हर साल बढ़ रही है और वर्तमान में कुल मिलाकर यह लंबाई 15,000 किलोमीटर है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की 2020–21 की ऑडिट रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पटरियों का ख़राब रखरखाव गाड़ियों के पटरी से उतरने का प्रमुख कारण था, जो रेल दुर्घटनाओं के सबसे आम रूपों में से एक था। रेलवे की पटरियों के निरीक्षण में 30 से 100 प्रतिशत तक की कमी थी। पटरियों के नवीकरण के लिए धन का आवंटन 2018–19 में 9607.65 करोड़ रुपये से घटकर 2019–20 में 7417 करोड़ रुपये हो गया। 2020–2021 के लिए आवंटित धनराशि का भी पूरा उपयोग नहीं किया गया है।

मार्च 2023 को समाप्त हुये वित्त वर्ष में सिग्नल की ख़राबी की 50,000 से अधिक सूचनायें मिली हैं। सिग्नल की ख़राबी के परिणामस्वरूप रेलगाड़ियों को गलत पटरी पर मोड़ने के कई मामले सामने आए हैं। ज्यादातर मामलों में, इसका संबंध सिग्नल प्रणाली की ख़राबी से है और इस मुद्दे को अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है। इसी अवधि में ओवरहेड उपकरणों की विफलताएं 590 से बढ़कर 636 हो गई हैं और ट्रेन पार्टिंग की विफलताएं 144 से बढ़कर 253 हो गई हैं। ट्रेन पार्टिंग एक ट्रेन को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करना है, जब ट्रेन चल रही हो या बस चलने वाली हो। इन गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा कोई क़दम नहीं उठाया गया है।

पिछले कुछ वर्षों में, रेलवे की विभिन्न कार्यशालाएं बंद कर दी गई हैं तथा कई पुर्जों और उप–असेंबली की आपूर्ति के लिये निजी कंपनियां आउटसोर्स कर दी गई हैं। इसकी वजह से आपूर्ति किए गए पुर्जों की गुणवत्ता में गिरावट आई है।

कुशल तकनीकी कार्यों के लिए भी संविदा मज़दूरों को काम पर रखा जाता है। वे अप्रशिक्षित होते हैं और उन्हें रखरखाव के लिए आवश्यक प्रासंगिक मापदंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है।

आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा दोनों ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है।

एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने व्यवस्थागत विफलताओं की रिपोर्टों और सुधारात्मक उपायों के लिये की गई सिफ़ारिशों को नजरंदाज़ किया है। इन पर तुरंत ध्यान देने के बजाय दुर्घटनाओं को होने दिया है, जिनमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं हैं। ऐसी दुर्घटनाएं हो जाने के बाद उन मज़दूरों को दोषी ठहराया जाता है, जो सबसे असुरक्षित परिस्थितियों में काम कर रहे हैं।

हाल ही में हुई भयानक दुर्घटना के लिए कुछ कर्मचारियों को दोषी ठहराना और गिरफ़्तार करना, देश में रेल यात्रा की सुरक्षा के गिरते स्तर के वास्तविक कारण पर पर्दा डालने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है।

भारतीय रेल का बिगड़ता सुरक्षा रिकॉर्ड आउटसोर्सिंग, निजीकरण और लागत में कटौती के उपायों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य पूंजीवादी मुनाफ़े को अधिकतम करना है।

समस्याओं के समाधान के लिए निजीकरण कार्यक्रम को तत्काल रोकने की आवश्यकता है। इसके लिए कामकाजी आबादी के लिए सुरक्षित और सस्ती यात्रा और रेल मज़दूरों के लिए काम की सुरक्षित परिस्थितियों को सुनिश्चित करने की दिशा में भारतीय रेल को पुनः स्थापित करने की ज़रूरत है।

http://hindi.cgpi.org/23869

तमिलनाडु के मज़दूरों ने ...

पृष्ठ 5 का शेष

मांग की कि सरकार के निजीकरण कार्यक्रम को रद्द किया जाना चाहिए और वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार की मज़दूर–विरोधी, किसान–विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ मज़दूरों और किसानों की एकता को मजबूत करने का आह्वान भी किया।

यह घोषणा की गई कि ट्रेड यूनियनें आगे की कार्रवाई तय करने के लिए 24 अगस्त को नई दिल्ली में मज़दूरों और किसानों के संगठनों के एक दिवसीय संयुक्त सम्मेलन में भाग लेंगी।

मज़दूरों ने पूंजीपतियों और उनकी सरकार के ख़िलाफ़ दिनभर चलने वाली सामूहिक सभा में भाग लिया। यह सभा

पूंजीपतियों द्वारा मज़दूरों पर किए जा रहे हमलों के ख़िलाफ़ एकजुट होकर लड़ने और उनके सभी मुद्दों के समाधान की मांग के संकल्प के साथ समाप्त हुई।

सभा में शामिल होने के लिए पूरे तमिलनाडु में कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच जाकर उन्हें एक साथ लाने के अभियान चलाए गए थे। तोड़िलालर ओट्टुमई इयक्कम ने इन तैयारी बैठकों और 9 सितंबर को कार्यकर्ताओं की सामूहिक सभा में भाग लिया। जिसने मज़दूरों की उचित मांगों और आगे का रास्ता विषय से एक पर्चा निकाला और वितरित किया। इस पर्चे की हजारों प्रतियां नुक्कड़ सभाओं के साथ–साथ सभा में भी मज़दूरों के बीच बांटी गईं।

http://hindi.cgpi.org/23879

मज़दूर एकता लहर
(इंटरनेट संस्करण)

हिन्दी : http://www.hindi.cgpi.org
अंग्रेजी : http://www.cgpi.org
पंजाबी : http://www.punjabi.cgpi.org
मराठी : http://www.marathi.cgpi.org
तामिल : http://www.tamil.cgpi.org
ईमेल : mazdoorektalehar@gmail.com
Ph.09868811998, 09810167911